

पुलिस विभाग जिला-अजमेर
॥ प्रेस नोट दिनांक 27.07.2017 ॥

शांतिभंग के आरोप में 11

आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना गंज में शांति भंग के आरोप में 1. ईकबाल सैयद पुत्र मो. सैयद जाति मुसलमान उम्र 45 साल नि. अन्दरकोट गरीब नवाज कॉलोनी, टंकी के

पास दरगाह, अजमेर, वेद प्रकाश पुत्र किशनलाल, जाति बैरवा उम्र 53 साल नि. आशपुरा बांदी कुई हाल खाना बदोश रामप्रसाद घाट अजमेर 3. राजू पुत्र सूरज जाति बगारिया उम्र 27 साल नि. खाना बदोश रामप्रसाद घाट थाना गंज अजमेर 4. अंकुश कुमार पुत्र रणजीत लाल जाति सोलंकी उम्र 25 साल नि. खाना बदोश बजरंग गढ चौराहा थाना कोतवाली अजमेर 5. अर्जुन पुत्र सेवाराम जाति राजपूत उम्र 23 साल नि. गांव सिंगपुर थाना मण्डला मध्यप्रदेश, 6. जिलेसिंह पुत्र फकीरचन्द जाति नायक उम्र 40 साल नि. थाना तुशान जिला भीवानी हरियाणा हाल खाना बदोश अजमेर 7. राकेश यादव पुत्र रामसिंह जाति यादव उम्र 33 साल नि. दरगाह बाईपास बडी नागफणी अजमेर 8. नवीन कुमार पुत्र तेजकुमार जाति जाटव उम्र 26 साल नि. मुनि महाराज कॉलोनी दरगाह रोड बडी नागफणी थाना गंज अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. के गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना केकडी—में 1.राधाकिशन पुत्र कैलाश चन्द रेगर जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी प्रान्हेडा थाना केकडी जिला अजमेर 2.सुरेन्द्र पुत्र बाबुलाल जाति खटीक निवासी तसवारिया थाना केकडी जिला अजमेर 3. दिलखुश पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी तसवारिया केकडी थाना केकडी जिला अजमेर को अर्न्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना मसुदा में की गई कार्यवाही—2 कार्यवाही 510 आईपीसी की 1 कार्यवाही 185 एमवीएक्ट की पुलिस थान अलवर गेट—185 की कार्यवाही—01 एम वी एक्ट— 10 पुलिस थाना सिविल लाईन—185 की कार्यवाही—02/60 पुलिस एक्ट—03 13 आर पी जी ओ—01 पुलिस थाना किश्चनगंज—185 की कार्यवाही—06/60 पुलिस एक्ट में—05 एम वी एक्ट—09 /स्थाई वारन्टी—01

एनडी पीएस एक्ट म मुकदमा दज

पुलिस थाना पीसांगन म बहवाला रपट संख्या 26 रोजनामचा आम को जरिये टेलिफोन एटाएस चौका अजमेर से इतला मिला एक वैगनार गाडी न. RJ-36 CA-1394 रंग गौल्डन जो ब्यावर को तरफ से पीसांगन आ रहा है जिसम हथियार हो सकते है आदि इतला पर थानाधिकारो कंवरपालसिंह मय रिवाल्वर हैड जीवराज भाटो , रामकुवांर मय एस एल आर , संजय सिंह मय एस एल आर मय जीप सरकारो चालक कानसिंह के वास्ते नाकाबन्दो हैतू थाने के सामने खाना हुआ दौराने नाकाबंदो ब्यावर को तरफ से एक वैगनार मारुति न. RJ-36 CA-1394 आती नजर आई जिसको रूकवाकर चैक किया गया तो मारुति म हथियार नही मिले गाडी को चैक करने पर गाडी म दवाईया मिला जिनके बारे मे लाईसेन्स व परमिट चाहा गया मगर मौके

पर नही होना पाया गया जिस पर वैगनार चालक का नाम पता पुछा तो अपना नाम सुनिल गौलानी पुत्र मूलचन्द गौलानी जाति सिंधी उम्र 40 साल निवासी 306 क रविदत्त वैध कॉलोनी दैलवाडा रोड ब्यावर अजमेर बताया व जिस पर दवाईयो का जाँच हैतू सहायक औषधि नियन्त्रक अजमेर के कार्यालय के फोन न. 0145-2626677 टेलिफोन पर इतला देकर अवगत कराया गया तथा अग्रिम कायवाही हैतू सक्षम अधिकारी को मौके पर भिजवाने का निवेदन किया गया तथा डिटेन सुदा वाहन वैगनार मारुति न. RJ-36 CA-1394 को सुरक्षाथ थाना परिसर म खडा करवाया गया दवाईया वैगनार रंग गौल्डन मारुति न. RJ-36 CA-1394 के अन्दर रखी हुई है तथा चालक को जैर निगरानी मौजूदा सन्तरो को सम्भलाया गया तत्पश्चात समय करोब 06:06 पीएम पर ईश्वर सिंह यादव औषधि नियन्त्रक अधिकारी व मनीष कुमार मोदी औषधि नियन्त्रण अधिकारी उपस्थत थाना आये जिनका रोजनामचा आम मे आमद का गयी

जिन्हे वैगनार मारुत न. RJ-36 CA-1394 मे रखी दवाईयो को जांच हेतू वेगनार मय ड्राईवर सुनिल गौलानी पुत्र मूलचन्द गौलानी जाति सिंधी उम्र 40 साल निवासी 306 क रविदत्त वैध कॉलोनी दैलवाडा रोड ब्यावर अजमेर के सुपुद को गयी बाद जांच मनीष कुमार मोदी औषधि नियन्त्रण अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट समय 07:20 पीएम पर पेश कि को सेवा म थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन अजमेर विषय -एफ आई आर दज करवान बाबत । विषय- सुनिल गौलानी पुत्र मूलचन्द गौलानी स्थाई पता - 306 क रविदत्त वैध कॉलोनी ब्यावर के विरुद्ध NDPS ACT म कायवाहा करने बाबत उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि आज दिनांक 26.07.2017 को आपके द्वारा दूरभाष पर दी गई सुचना के आधार पर श्री ईश्वरसिंह, सहायक औषधि नियन्त्रक अजमेर के साथ अधोहस्ताक्षर कता पुलिस थाना पीसांगन पहुचा एवं थाना पीसांगन म खडी कार न. RJ-36 CA-1394, वैगन आर (Lxi) तथा कथित सुनिल गौलानी एवं दो स्वतन्त्र

दवाहो को उपस्थिति म लेने पर कार म अन्य औषधियो के अतिरिक्त NDPS ACT घटक युक्त औषधि Alprazolm tablits ip 0.5 mg (prazolm -05) भी संग्रहित पाई गई जिनको कुल मात्रा 5600 tablits है निवेदन है कि उक्त औषधि Alprazolm tablits ip 0.5 mg (prazolm -05) NDPS ACT घटक युक्त औषधि है और सुनिल गौलानी के पास Wagon-R कार न. RJ-36 CA-1394 म औषधिया रखने का कोई औषधि अनुज्ञापत्र नही है तथा ना हो उक्त औषधियो का कोई क्रय बिल प्रस्तुत किया है । अत महोदय से निवेदन है कि NDPS ACT का धारा 8/22 एवं NDPS ACT 1985 के नियम 65-A के तहत कानूनी कायवाहो करने का श्रम करे ।आदि रिपोर्ट पर प्रष्ठांकित किया जाकर मन थानाधिकारो एनडीपीएस कायवाहो मे मशरुफ हुआ । तथा पुलिस अधीक्षक अजमेर व सीओ साहब ग्रामीण अजमेर को धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट का सुचना देने हेतू रेखराज

को कार्यालय व निवास स्थान अजमेर रवाना किया गया व एनडपीएस मे दवाईयो के माप तोल

केलिये कांटा लाने हेतू रामाकिशन को कस्बा पीसांगन रवाना किया गया रामाकिशन कस्बा पीसांगन से कांटा लेकर समय 07:48 पीएम पर वापिस आया तथा संजय सिंह को लिखित मे नोटिस दिया जाकर स्वतन्त्र गवाह लाने हेतू कस्बा पीसांगन रवाना किया गया जिस पर संजय सिंह दो स्वतन्त्र गवाह 1 राजेन्द सिंह जादोन पुत्र अमरसिंह राजपूत उम्र 50 साल निवासी बडा बास गंड के पास पीसांगन व अनिल कुमार जैन पुत्र मानक चंद जैन उम्र 40 साल निवासी पीसांगन को लेकर वापिस आया जिनको गवाह बनने बाबतनोटिस दिये गये तथा लिखित मे सहमति ली गयी वक्त 09-30 पीएम पर मुल्जिम सुनिल गौलानी पुत्र मूलचन्द गौलानी जाति सिंधी उम्र 40 साल निवासी 306 क

रविदत्त वैध कॉलोनी दैलवाडा रोड ब्यावर अजमेर को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस दिया का आपके पास मादक पदार्थ दवाईया होने का आशका हे इस कारण आप व आपका गाडी का तलाशी ला जानी है आप को कानूनी अधिकारा हे कि आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारा , मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवाने के लिये स्वतन्त्र है कृपया बतावे का आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित , मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवाना चाहते है राजपत्रित अधिकारा , मजिस्ट्रेट को मौके पर मै लाने का व्यवस्था कर सकता हुं इस पर सुनिल कुमार गोलानी ने नोटिस पर लिखित मे दिया का मेरो व मेरो गाडी का तलाशी आप साहब भी ले सकते हो इस उपरानत थानाधिकारा मय गवाहान व मुलाजमान का तलाशी सुनिल कुमार को दो तो किसी के पास कोई आपतजनक वस्तु नही मिला तत्पश्चात सुनिल कुमार गोलानी का तलाशी ला गयी तो उसके पास गाडी मे पेकिटो के अन्दर NDPS ACT घटक युक्त औषधि

Alprazolm tablits ip 0.5 mg (prazolm -05) जिसके बेच नंबर एनएचएन 1332 लिखा हुआ है व एक पैकेट मे 10 पते है व प्रत्येक पते मे 80 टेबलेट है कुल 7 पेकेट जिनमे कुल मात्रा 5600 tablits है 10 गोर्लियो के एक पते का पते सहित कम्प्यूटर कांटा से वजन किया गया तो कुल वजन 2.05 ग्राम हुआ एक पते मे से 10 गोर्लियो को निकालकर बिना पते के गोर्लियो का वजन किया गया तो कुल 1.48 ग्राम व खालो पते का वजन .570 ग्राम हुआ प्रति टेबलेट वजन .148 मिलोग्राम हुआ और कुल 5600 टेबलेट का वजन 828.8 ग्राम हुआ व ओषधी नियत्रक अधिकारो ईश्वर सिंह व मनीष कुमार ने देखकर बताया कि Alprazolm घटक को साईकोट्रोपिक श्रेणी का घटक होना अवगत कराया जो एनडीपीएस एक्ट का श्रेणी के अन्तगत आता है इस उपरान्त सुनिल गोलानी से उक्त बरामद का गयी ओषधी के बारे मे पुछताछ का गयी तो बताया कि मै मेडिकल स्टोरो से खरोदकर बेचता हुं मेरे पास यह गोर्लिया

पडी थी जिसको मैं सप्लाई के लिये पीसांगन लेकर आ रहा था जिसका उक्त कृत्य अपराध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने पर सुनिल गौलानी पुत्र मूलचन्द गौलानी जाति सिंधी उम्र 40 साल निवासी 306 क रविदत्त वैध कॉलोनी दैलवाडा रोड ब्यावर अजमेर को समय 09:30 पीएम पर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस कारण गिरफ्तारी दिये जाकर तथा शेष बची हुई 5440 गोर्लियो को उन्हां के पैकेटो मेडाल कर एक सफेद कपडे का थैला मे डालकर बतोर वजह सबूत शिल्ड मोहर कर माका C अंकित किया गया । इस सम्बन्ध मे जांच के दौराने अन्य नशीला गोर्लिया मिला है जिसके सम्बन्ध मे औषधी नियंत्रक अधिकारियो द्वारा जुदागाना कायवाहा अमल मे लायी जा रहा है फद हाजा मुतिब हाजरान को पढकर सुनायी सुन समझ सहोमान अपने अपने हस्ताक्षर किये थाना पर मुल फदपर मुकदमा नंबर 94/17 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट मे दज किया गया जब्त शुदा माल को जमा मालखाना हेतू

एचएम मालखाना को सुपुद किया गया तथा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम सुनिल कुमार गौलानी को बाद जामा तलाशी के बंद हवालात किया जाकर जैर निगराणी संतरा सुपुद किया गया तथा उच्च अधिकारियो के निदशानुसार प्रकरण को तफतीश थानाप्रभारा थाना गेगल के जिम्मे को गंयी व एसआर जारा को गयी प्रतिया एफआईआर नियमानुसार जारा को गयी । अनुसंधान जारा हे ।